कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/50965-66 /2020-21 दिनांक 31/3/2021

प्रबन्धक,
सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल,
बरौली अहीर, आगरा ।

विषय :-मान्यता के स्थायी करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 23 मार्च 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विद्यालय सेन्ट जेवियर इण्टरनेशनल स्कूल, बरौली अहीर आगरा को इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अं0मा0/19646-52/2017-18 दिनांक 17.03.2018 के द्वारा कक्षा-नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) की दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) प्रदान की गयी मान्यता को स्थायी करने के संबंध में है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार सेन्ट जेवियर इण्टरनेशनल स्कूल, बरौली अहीर आगरा को शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में निहित प्राविधानों के तहत मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के लिए गये निर्णय के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अं0मा0/19646-52/2017-18 दिनांक 17.03.2018 के द्वारा निर्गत कक्षा-नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) की दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) प्रदान की गयी है। विद्यालय की मान्यता को स्थायी किये जाने के संबंध में उक्तवत शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के बिन्दु संख्या-15 में प्राविधान किया गया है कि " **प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान हो गयी है।**" इस प्रकार शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत विद्यालय को तीन वर्ष के लिए प्रदान की गयी औपबन्धिक मान्यता **तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर** तथा इस अवधि में मान्यता **की** शर्तो के उल्लघंन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर **स्वतः ही स्थायी मानी जायेगी।**

अतः उक्तवत शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की छायाप्रति संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः-उक्तवत

31/03/2021

(राजीव कुमार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि डॉ. आकाश अग्रवाल, माननीय सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक / मान्यता / अं0मा0 / 19646–52 / 2017–18 दिनांक 17.03.2018

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट जेवियर इन्टरनेशनल स्कूल,
बरौली अहीर–आगरा ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **अंग्रेजी माध्यम का मान्यता** प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 के कम में **सेन्ट जेवियर इन्टरनेशनल स्कूल, बरौली अहीर–आगरा** (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक **01.04.2018 से दिनांक 31.03.2021** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा–नर्सरी से कक्षा आठ तक** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबधो का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा–
   1. प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
   2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षाा नहीं की जाएगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा ।
5. अधिनियम के उपबंध के अनसुार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है: और
8. अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित स्वंय को नही लायेगा।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाऍ निम्नानुसार है:–

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –8924 वर्ग मीटर
   कुल निर्मित क्षेत्र –4270 वर्ग मीटर
   कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – हॉ
   कक्षाओं की संख्या –10
   प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष–03
   बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–02–02
   पेयजल सुविधा – हॉ, समर सेबिल द्वारा
   मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– –
   बाधारहित पहुंच – हॉ, डामर रोड

   अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता–हॉ
9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के

अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **(19646–52)** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा–कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(अर्चना गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

पृ0सं0/मान्यता/अं0मा0/19646–52/2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज–लखनऊ ।
2–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
5–जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा